Date : 15 मार्च 2023

पुरावशेषों का संरक्षण

संदर्भ- हाल ही में भारतीय मूल की दूसरी से पहली शताब्दी ईसापूर्व की मूर्तियाँ व चित्र जो न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट (मेट) में संरक्षित थी। उन्हें भारत में 73 वर्षीय एक व्यक्ति के पास से बरामद किया गया है। ये मूर्तियाँ हैं-

- चंद्र भगवान की मूर्ति
- कामदेव की आठवी शताब्दी की मूर्ति
- महिसासुरमर्दिनी की पेंटिंग
- राम लक्ष्मण के चित्र

पुरावशेष- पुरावशेष व कलाकृति अधिनियम 1972 के अनुसार "पुरावशेष" को दो श्रेणियों में बांटा गया है-

(क) कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान,—

- कोई सिक्का, मूर्ति, रंगचित्र, पुरालेख अथवा कला या शिल्पकारी की कोई अन्य कृति;
- किसी भवन या गुफा से निकाली गई कोई वस्तु, पदार्थ या चीज;
- कोई वस्तु, पदार्थ या चीज जो गत युगों के विज्ञान, कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, रूढ़ि, नैतिक आचार या राजनीति की दृष्टांतस्वरूप है;
- ऐतिहासिक महत्व की कोई वस्तु, पदार्थ या चीज;

- कोई ऐसी वस्तु, पदार्थ या चीज जिसे केन्द्रीय सरकार ने, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ पुरावशेष घोषित किया है; और

(ख) ऐसी कोई पांडुलिपि, अभिलेख अथवा अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक अथवा सौन्दर्य की दृष्टि से महत्व की है और जो कम से कम पचहत्तर वर्षों से विद्यमान है।

विदेशों में स्थित भारतीय पुरावशेषों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है-

1. स्वतंत्रता से पूर्व भारत से बाहर ले गए पुरावशेष
2. स्वतंत्रता के पश्चात मार्च 1976 तक भारत से बाहर ले गए पुरावशेष
3. अप्रैल 1976 के बाद भारत से बाहर ले गए पुरावशेष।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास-

यूनेस्को सम्मेलन 1970 – 1970 में यूनेस्को के एक सम्मेलन के बाद संग्रहालयों के लिए विश्व स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है: "किसी वस्तु को प्राप्त करते समय, चाहे खरीद या दान या किसी अन्य तरीके से, संग्रहालयों को वस्तु के इतिहास और उत्पत्ति को सत्यापित करने में उचित परिश्रम करना चाहिए। यदि कोई संग्रहालय किसी वस्तु का अधिग्रहण कर रहा है, तो संग्रहालय को यह सत्यापित करना होगा कि वस्तु को कानूनी रूप से प्राप्त किया गया था, कानूनी रूप से निर्यात किया गया था / या आयात किया गया था।"

यूनेस्को के सम्मेलन के अनुसार पुरावशेषों का अवैध आयात, निर्यात व हस्तानांतरण, मूल देशों की सांस्कृतिक दरिद्रता का एक कारण हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2000 में और संयुक्त राष्ट्र परिषद ने 2015 में इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की।

पुरावशेषों हेतु भारतीय कानून-

- भारत में संघ सूची की मद 67, राज्य सूची की मद- 12 व समवर्ती सूची की मद 40 देश की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है।
- पुरावशेष निर्यात अधिनियम 1947 बिना लाइसेंस के किसी भी पुरावशेष का निर्यात प्रतिबंधित करता है।
- प्राचीन स्मारक व अवशेष अधिनियम 1958 को पुरातात्वीय स्मारक, स्थल व अवशेषों के संरक्षण के लिए यह अधिनियम लागू किया गया।
- 1971 में चंबा सहित देश के कई हिस्सों से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मूर्तियों के चोरी होने पर संसद में विचार विमर्श हुआ तथा पुरावशेष व कला निधि अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए प्रेरित किया।

पुरातात्विक स्थल या पुरावशेषों पर स्वामित्व

- यूनेस्को के अनुसार अनुरोधकर्ता पक्ष पुरावशेषों पर अपने दावे को साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और इसका खर्च अनुरोधकर्ता को ही वहन करना होगा।
- अनुरोधकर्ता के पास पुलिस के पास दर्ज शिकायत होनी अनिवार्य है जो पुरावशेषों के गुम होने के समय दर्ज की गई हो।

Yojna IAS योजना है तो सफलता है yojnaias.com

- प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा जारी किए गए शोधपत्रों जिसमें अवशेषों के संबंध में कोई जानकारी दी गई हो, को भी साक्ष्य के रूप में वरीयता दी जाती है।

पुरावशेषों की सत्यता की जांच

एएटीए की धारा 14(3) के तहत, "प्रत्येक व्यक्ति जो किसी पुरावशेष का स्वामी है" पंजीकरण अधिकारी के समक्ष पुरावशेषों को पंजीकृत करना अनिवार्य है "और इस तरह के पंजीकरण के टोकन में एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।" मार्च 2007 से अब तक 3.52 लाख पुरावशेषों को पंजीकृत किया जा चुका है। जो कुल भारतीय पुरावशेषों का सूक्ष्म अंश मात्र है। पंजीकरण के माध्यम से पुरावशेषों की पहचान करना व उनका संरक्षण करना आसान हो जाएगा।

भारत में पुरावशेष संरक्षण में चुनौतियाँ

- पुरावशेषों के गुम होने पर पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज न कराना।
- पुरावशेषों के स्वामी द्वारा पुरावशेषों का पंजीकरण न कराना।

स्रोत

इण्डियन एक्सप्रैस

https://en.unesco.org/fighttrafficking/1970

https://legislative.gov.in/sites/default/files/H197252.pdf

Gunjan joshi

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है

उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों हेतु आरक्षण

उत्तराखण्ड राज्य मंत्रीमण्डल ने सोमवार को राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 % क्षैतिज आरक्षण की मांग की है। पिछले 11 वर्ष से राज्य गठन आंदोलन में मारे गए लोगों के आश्रितों और जेल गए प्रदर्शनकारियों द्वारा लगातार यह मांग की जा रही है।

आरक्षण- किसी विशेष समूह, जो विकास के स्तर पर पीछे रह गया है, के लिए विशेष स्थान आरक्षित किया जाता है जिससे वर्गों के मध्य आए अंतर को पाटा जा सके। भारत में आरक्षण सामाजिक या आर्थिक रूप से दिया जाता है। आरक्षण को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया गया है।

लम्बवत आरक्षण-

- लम्बवत आरक्षण सामाजिक अंतर को पाटने के लिए दिया गया है, जो जाति पर आधारित है।
- अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया आरक्षण लम्बवत आरक्षण कहलाता है।
- इस आरक्षण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 16(4) में किया गया है।

क्षैतिज आरक्षण-

- यह ऊर्ध्वाधर श्रेणियों के **अतिरिक्त** अन्य लाभार्थियों जैसे महिलाओं, विकलांगों, ट्रांसजेंडर समुदाय आदि को आरक्षण **प्रदान** करता है। यह आरक्षण, प्रत्येक लम्बवत **श्रेणी** के लिए अलग से लागू किया जाता है।
- संविधान के अनुच्छेद 15(3) में **क्षैतिज** आरक्षण प्रदान किया गया है।

अन्य क्षैतिज आरक्षण-

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के **आश्रितों** हेतु आरक्षण
- भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण
- सैन्य गतिविधियों के कारण हुए अपंग सैनिकों के आश्रितों हेतु आरक्षण
- अनाथ बच्चे
- दिव्यांग

क्षैतिज व लम्बवत आरक्षण

क्षैतिज कोटा प्रत्येक लंबवत श्रेणी के लिए अलग से लागू किया जाता है, यदि महिलाओं के पास क्षैतिज कोटा 50% है तो लम्बवत श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक वर्ग में से 50-50% महिलाओं का चुनाव किया जाएगा। किंतु दोनों को एक साथ लागू करने पर विवाद हो सकता है।

सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार विवाद- 2021

इस प्रकरण में सोनम तोमर नामक महिला ने अन्य पिछड़ा वर्ग से उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था। इस **परीक्षा** में सोनम तोमर से कम अंक प्राप्त सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का चयन हो गया। सोनम का चयन नहीं हुआ। विवाद का विषय था कि सोनम को अन्य पिछड़ा वर्ग से आरक्षण दिया जाए या महिला वर्ग से। और यह दोनों आरक्षण क्रमशः लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण से संबंधित हैं।

विवाद में न्यायालय का निर्णय था कि यदि लम्बवत वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा सामान्य वर्ग की कट ऑफ अंक को प्राप्त कर लेता है तो उसे लमबवत श्रेणी के आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। या अभ्यर्थी को आरक्षण से वंचित न कर सामान्य वर्ग में निहित आरक्षण अर्थात क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।

उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन

अमर उजाला

दिल्ली जा रहे उत्तराखंड समर्थकों पर पुलिस फायरिंग, १५ मरे

भौगोलिक रूप से उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य है, प्रारंभ में उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा था। जिसकी आवश्यकता एक तराई राज्य से भिन्न थी। उत्तर प्रदेश से पर्वतीय क्षेत्र को पृथक कर एक अलग राज्य बनाने की मांग 1938 से महसूस की जाने लगी जब गढ़वाल के श्रीनगर में कांग्रेस के अधिवेशन के समय पण्डित नेहरु ने पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को स्वयं निर्णय लेने व अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए किए जा रहे आंदोलनों का समर्थन किया। तब से पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किए जा रहे थे।
1994 में स्थानीय छात्र, पृथक राज्य आंदोलन का मोर्चा संभाल रहे थे। इस बीच मुलायम सिंह यादव के पृथक राज्य विरोधी बयान से आंदोलन और तेज हो गया। उत्तराखंड क्रांति दल ने अनशन प्रारंभ किया। तीन महीने तक आंदोलन चलते रहे, आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज व महिला आंदोलनकारियों से अभद्रता की जिससे आंदोलन और हिंसक हो गया। 2 अक्टूबर 1994 को रात्रि के समय दिल्ली की ओर रैली में जा रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में गोलियाँ बरसाई गई। इस घटना को रामपुर तिराहा गोलीकांड भी कहा जाता है।

इसी प्रकार की घटनाएं खटीमा मसूरी, देहरादून, नैनीताल, कोटद्वार, श्रीनगर में भी देखी गई। जिसमें कई आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई। वर्तमान राज्य में इन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भांति सम्मान दिया जाता है।

राज्य गठन की प्रक्रिया– लगातार हो रहे हिंसक गतिविधियों को देखते हुए 15 अगस्त 1996 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री एच. डी. देवगोड़ा ने उत्तराखण्ड राज्य की घोषणा की। घोषणा के बाद उत्तरांचल विधेयक तैयार कर उत्तर प्रदेश विधानसभा में इसे 26 संशोधनों के साथ पारित किया गया। राज्य विधानसभा में पारित होने के बाद केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा और फिर राज्य सभा में प्रस्तुत किया। लोकसभा व राज्य सभा में विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने 28 अगस्त 2000 को इसे अपनी स्वीकृति दे दी। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य के नाम से एक पर्वतीय राज्य का गठन किया गया। जिसका 1 जनवरी 2007 को नाम बदलकर उत्तराखण्ड कर दिया।

स्रोत
इण्डियन एक्सप्रैस
Navinsamachar
Gunjan Joshi

yojnaias.com